

निर्णय

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुझड़, सुमन चौधरी, R.T.S. पीठासीन अधिकारी :::: 01/2019 मिसल नं. ::::

सरकार बनाम धासीराम पुत्र जगनाराम, जारि-नट, निवासी-पिलानी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 28.02.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल धासीराम पुत्र जगनाराम, जारि-नट, निवासी-पिलानी द्वारा रोही भोजा पिलानी की राजकीय भूमि ख.नं. 10110 कुल रकबा 1.89 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.04 है0 भूमि पर एक पक्का मकान बनाकर एवं तार बाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाबा दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० 18 पर वर्ष 2018-19 के खर्चे 12.1/ कायम राजस्व लेखाकार

(सुमन चौधरी) तहसीलदार, सूरजगढ़